संख्या–1002/71–4–18–37/2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 18 जून, 2018

विषयः– निजी क्षेत्र के अन्तर्गत सुभारती मेडिकल कालेज मेरठ एवं सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–3/2018/2196 दिनांक 04.06.2018 एवं पत्र संख्या–एम0ई0–3/2018/2328 दिनांक 13.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंण्टल कालेजों द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 की विज्ञप्ति संख्या–182/71–4–2018–37/2015 दिनांक 27.03.2018 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3– उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये है:–

10–(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी–

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप
(दो) उपलब्ध अवसंरचना
(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय
(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

4– निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव/निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कालेजों के चेयरमैन/प्रधानाचार्यो से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सदस्य सचिव, फीस नियमन समिति द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त के कम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.06.2018 एवं दिनांक 13.06.2018 से यह अवगत कराया गया कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा उनके संस्थान को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के दृष्टिगत फीस नियमन समिति के माध्यम से शुल्क निर्धारित न किये जाने का अनुरोध किया गया है। सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ एवं सुभारती डेण्टल

कालेज, मेरठ द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु अपना कोई प्रस्ताव उपलब्ध नही कराया गया। विगत वर्ष सुभारती मेडिकल कालेज, एवं सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ द्वारा अपूर्ण सूचना/प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के कारण न्यूनतम शुल्क के आधार पर शासनादेशों दिनांक 14.07.2017 द्वारा एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारित किया गया था।

5— सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार–विमर्श एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा–10(1)(छ:) में पूर्व में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित किए गये मानदण्डों को ही अपनाते हुए सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ एवं सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ का शुल्क गत वर्ष के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए निम्नवत शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0	संस्था का नाम	शैक्षणिक सत्र/पाठ्यक्रम	प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क धनराशि रू0 लाख में
1	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	2018—19 (एम0बी0बी0एस0)	रू0 8.50
2	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ।	2018—19 (बी0डी0एस0)	रू0 1.37

6— उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सम्बन्धित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

7— उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट **http://upmededu.in** पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारित संबंधी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कढ़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1002(1)/71–4–18–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

Fees 2018 GO Lkm

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3/2018/2456 लखनऊ,दिनांक 21 जून,2018

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18 जून 2018 की प्रतिलिपि प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सुभारती डेण्टल/मेडिकल कालेज, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक